शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-12/2018/13/5/1998टी0सी0-का-1-2018

प्रेषक,

शीतला प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 14 दिसम्बर, 2018

विषय :- सरकारी सेवकों द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-24 (3) में यह व्यवस्था है कि " प्रथम नियुक्ति के समय और तदुपरान्त हर पांच वर्ष की अवधि बीतने पर, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सामान्य मार्ग के जरिये, नियुक्ति करने वाले अधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो या जिसे उसने दाय के रूप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो, और ऐसे हिस्सों को या अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय-समय पर रखे या अर्जित करें, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गयी हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे ब्यौरे दिये जाने चाहिए।"

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

शीतला प्रसाद

विशेष सचिव।

संख्या-12/2018/13/5/1998टी0सी0(i)-का-1-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह

अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in